मंडल की 6 अप्रैल 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	1	22 फरवरी 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 22.2.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	2	महा पत्तन न्यासों के श्रेणी I तथा श्रेणी II अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में सुधार - उपदान और पैक्टिस बंदी भत्ता (एनपीए) - के संबंध में.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
3.	3	बंगलादेशी नौसेना पोत बीएनएस प्रॉट्टी को प्रभारों की छूट का अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
4.	4	बल्क कार्गो की सम्हलाई के लिए जीपीएम प्रदान न करने के कारण स्टीविडोरिंग प्रभारों में छूट.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
5.	5	पुरानी व्हिक्टोरिया गोदी बुल नोस स्थित जेट्टी पर पोतारोहन नाव पुल (एम्बार्केशन पॉन्टून) लगाना.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
6.	6	वर्तमान सूची में सम्मिलित निजी अस्पताल यानि, डॉ. एल.एच. हीरानंदानी अस्पताल, पवई को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मरीजों को मौजूदा उन्ही निबन्धन एवं शर्तों पर दि. 1.6.2020 से, दि. 30.5.2020 को वर्तमान संविदा अवधि की तिथि समाप्त होने के बाद अथवा मुंपोट्र अस्पताल के रियायतग्राही द्वारा सुपर-स्पेशियालिटी सेवाएँ स्थापित करने तक अगले दो वर्षो तक, जो भी पहले होगा, वर्तमान सीजीएच दरों पर समाझौता ज्ञापन में यथा स्वीकृत जमा सुविधाएँ (क्रेडिट) प्रदान करने को विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
7.	7	29 जनवरी 2021 को आयोजित मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	मंडल की 29 जनवरी 2021 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित, पुनरीक्षित तथा अभिलिखित की जाती है.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
8.	8	आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) को लाइसेन्स शुल्क, किराया, बिजली तथा जल प्रभारों में छूट.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
9.	9	एमवी दरिया महेश जहाज के पीली मटर पोतभार की भंडारण अवधि के विस्तार का अनुरोध, दिनांक 14.11.2019 का आईजीएम नं. 2239158.	टिप्पणी के परिच्छेद 25(i) का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
10.	10	माझगांव स्थित सागर दर्शन, ग्रुप 'ए' अधिकारी क्वार्टरों में आवासीय क्वार्टर सं.9 के अधिभोग का विस्तार.	दिनांक 15.3.2021 से 14.3.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों पर तथा सामान्य लाइसेन्स शुल्क पर विस्तार प्रदान करने के लिए डॉ. यतिन पटेल के अनुरोध को अनुमोदन दिया जाता है. तथापि, आगे और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा.	कल्याण
11.	11	चार महापत्तनों के लिए व्यवसाय प्रक्रि या री-इंजीनियरिंग करने तथा ईआरपी कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति पर होने वाले खर्च पर पोर्ट के अंशदान के हिस्से का भुगतान -मेसर्स एर्नस्ट एण्ड यंग की संविदा का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संयुक्त निदेशक
12.	12	निविदा सं. ई.10ए/2017: इंदिरा गोदी, मुंबई स्थित मौजूदा मुंबई अन्तराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआईसीटी) का आधुनिकीकरण-समय अवधि का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. तथापि, आगे और विस्तार मंजूर नही किया जाएगा.	स्थापत्य
13.	13	जवाहर द्वीप में पाँचवे तेल घाट का निर्माण - सुधारित लागत प्राक्कलन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता हे.	स्थापत्य
14.	14	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में संशोधन.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट, प्रस्तावित संशोधित एकल संशोधन को, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते इसे पूर्वोक्त अनुच्छेद 124(i) के तहत सरकार की मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
15.	15	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में संशोधन - महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करना - के संबंध में.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में अनुलग्नक V में यथा निर्दिष्ट, प्रस्तावित संशोधन को, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते इसे पूर्वोक्त अनुच्छेद 124 के तहत सरकार की मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन
16.	16	इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. विरुध्द मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल के बीच मध्यस्थता के मामले में.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य विधि अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	विधि
17	17	पीपीपी मोड पर शहर संकुलन (भीड़-भाड़) को कम करने तथा व्यापार के लिए मूल्य सृचित करने हेतु जेएनपीटी - मुंबई पोर्ट बार्ज/जहाज प्रचालनों के लिए प्रचालकों के चयन के लिए निविदा -निविदा सं.टीएम/बीडीसी/जेएनपीटी-मुंपोट्र बार्ज/ 2019-20/615	निम्न को अनुमोदन दिया जाता है- (i) निविदा समिति की निविदा मुक्ति की सिफारिशों को स्वीकार करना, तथा (ii) निविदा दोबारा आमंत्रित करना.	यातायात
18.	18	धन वापसी का दावा करना तथा जीएसटी के अंतर्गत जमा पत्र (क्रेडिट नोट) जारी करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
19.	19	निविदा सं. ई. 103ए/2018. - 15 विक्टोरिया गोदी स्थित अंतर्देशीय क्रूज टर्मिनल (डीसीटी) के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए ओ एण्ड एम प्रचालक के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी).	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
20.	20	22 फरवरी 2021 को आयोजित मंडल की बैठक में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	मंडल की 22 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित, पुनरीक्षित तथा अभिलिखित की जाती है.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	21	लंगरगाह प्रभारों, आदि में छूट/रियायती दरें.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 तथा 9 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
22.	22	रियायतग्राही को अस्पताल सुपूर्द किये जाने तक वेलनेस फॉरएवर मेडिकेअर प्रा.लि. की संविदा का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
23.	23	मुंपोट्र इस्टेट के खाली भूखण्डों की ई-निविदा सह ई-निलामी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
24.	24	प्रिन्सेस गोदी, मुंबई स्थित मुंबई मरीना का पीपीपी मोड पर अभिकल्पना, निर्माण, वित्तीय, प्रचालन तथा अंतरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
25.	25	दिनांक 5.4.2021 से मुंपोट्र अस्पताल में कोविड-19 का टीकाकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
26.	26	निविदा सं. सीई/एमआईसीटी/ओ एण्ड एम/2020: इंदिरा गोदी, स्थित मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एम आई सी टी) का डी बी एफ ओ टि (पी पी पी) आधार पर विकास, प्रचालन तथा रखरखाव करने हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी). - प्रस्तुति 1 - योग्यता.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
27.	27	इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि., दावाकर्ता तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल, प्रतिवादी के बीच मध्यस्था कार्यवाही.	विचार-विमर्श आस्थागित.	स्थापत्य
28	28	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंपोट्र) द्वारा पूर्वी वॉटरफ्रंट का विकास - फेरी व्हार्फ स्थित रो-पैक्स सुविधा के प्रचालक को (i) जमीन पर बिठाये गये नट-बोल्टों से स्थापित अस्थायी/हटाने योग्य लचीले ढँके पथ मार्ग स्थापित करने तथा (ii) गृह-व्यवस्था, सुरक्षा तथा जहाज कर्मचारियों को आवास के लिए बॉक्स टाईप कंटेनर रखने हेतु जगह आबंटित करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
